

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि—अनुभाग)
दिनांक: देहरादून 29 मार्च, 2016

—परिपत्र:

सुख साधन कर के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले पंजीयनों के त्वरित निर्स्तारण के उद्देश्य से सुख साधन कर में पंजीयन जारी किये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं।

::निर्देश::

- 1— उत्तराखण्ड होटलों में सुख साधन कर नियमावली—2009 के नियम (3A) के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने हेतु समस्त वांछित प्रपत्रों सहित अपलोड किये गये ऑनलाइन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे।
- 2— प्रार्थना पत्र विभागीय वैबवाईट <http://comtax.uk.gov.in> के माध्यम से अपलोड किये जायेंगे।
- 3— ऑनलाइन प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने के उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त प्रार्थना पत्र तथा वांछित अनुलग्नकों की नियमानुसार जांच कर व पूर्ण होने की स्थिति में 24 घण्टे (एक कार्यदिवस, अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस) के भीतर पंजीयन संख्या जारी कर दी जायेगी।
- 4— टिन जारी होने के उपरान्त अगले 10 कार्यदिवसों में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी अथवा इस कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी व्यापारी द्वारा घोषित किये गये पते पर Advisory visit के लिये जायेंगे तथा परिपत्र संख्या 2539 दिनांक 06—09—2014 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार घोषित मुख्यालय (सुख साधन कर के अन्तर्गत पंजीयन हेतु दायी इकाई) एवं ब्रान्च के फोटो ग्राफ लेकर वेबसाइट पर Geo Tagging Utility के माध्यम से अपलोड किये जाने हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये समस्त प्रपत्रों (नियम 3A(ii) में वर्णित) का सत्यापन उनके मूल अभिलेखों से करेंगे। इस दौरान सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी, व्यापारी को, मौखिक रूप से नियमानुसार विवरणी जमा करने की प्रक्रिया की जानकारी तथा अन्य बिन्दुओं पर मार्गनिर्देशन भी प्रदान करेंगे।
- 5— खण्ड के असिस्टैन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक दिन विभागीय वैबसाइट खोलकर अपलोड किये गये प्रार्थना पत्रों को देखे और उनके निस्तारण हेतु आवश्यक तैयारी रखें। अधिकारी द्वारा विभागीय login के माध्यम से रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में Enter किया जा सकता है। Enter करने पर पंजीयन सम्बन्धी लम्बित प्रार्थना पत्र Screen पर उपलब्ध हो जायेगा।
- 6— पंजीयन जारी किये जाने के उपरान्त बिन्दु संख्या 4 में की गयी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पंजीयन सर्वेक्षण रिपोर्ट अगले दो कार्यदिवसों में वेबसाइट पर व्यापारी की मास्टर फाइल पर अपलोड कर दी जायेगी तथा उक्त पंजीयन सर्वेक्षण रिपोर्ट डीलर के लॉगइन पर भी प्रदर्शित होगी।
- 7— वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा टिन जारी होने के अगले कार्यदिवस तक पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल रूप में) स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा, जोकि डीलर की लाग—इन में प्रदर्शित होगा। पंजीयन प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी व्यौहारी द्वारा घोषित किये गये पते पर पूर्ववत्

प्रेषित किया जायेगा। कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से यह प्रमाण पत्र व्यापारी अथवा उसके प्रतिनिधि को नहीं दिया जायेगा।

- e-Registration जारी करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर में किसी तकनीकी समस्या या अन्य किसी समस्या के संबंध में टोल फ़ी नं 1800-266-2277 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(दिलीप जावलकर)

आयुक्त कर


उत्तराखण्ड

6/23

पृष्ठ ००८० / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
- 4- एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/रुद्रपुर/काशीपुर जोन।
- 5- ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यो/प्रवो) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रुडकी/काशीपुर/रुद्रपुर/बाजपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- ज्वाइन्ट कमिशनर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 7- श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर, हरिद्वार एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 8- डिप्टी कमिशनर(उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 9- अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 10- प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड देहरादून।
- 11- दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड देहरादून।
- 12- प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81- मोती बाजार देहरादून।
- 13- The whole sale dealers Association 14- आढ़त बाजार देहरादून।
- 14- प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
- 15- कार्यालय अधीक्षक/विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 16- समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।


आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।